

माध्यालय अतिरिक्त कलम्बर दोसा
 मु.नं. 52/2023 प्राप्य स्थानांतरण
 डनवान - गोविन्द सहाय व अन्य वनाय रमेश कुमार DO विनय

16-1-24

राज्य क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 पत्र आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 29-1-24 को पेश है।

29-1-24

राज्य क्षेत्रीय अधिकारी महोदय साहब
 कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से
 पत्र आदेश की पालना में पत्रावली
 दिनांक 23-2-24 को पेश है।

23-2-24

अधिकृत प्राचीन उपस्थित अधिकृत प्राचीन प्राचीन
 निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रो.सी.न
 अधिकारी - माध्यालय उपखण्ड अधिकारी सिमराय रमेश
 कुमार मीना का स्थानांतरण हो गया है, इसलिये प्राचीन
 पत्र स्थानांतरण में आगे चलाये जाने का अनुरोध नहीं है
 पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिकृत प्राचीन
 के फ्लान पर मनन किया गया। विचारणीय प्राचीन पत्र
 स्थानांतरण की रमेश कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी
 सिमराय के निरुद्ध पत्र किया है जिनका स्थानांतरण
 हो चुका है इसी स्थिति में विचारणीय प्राचीन पत्र
 स्थानांतरण सारणीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये
 जाने योग्य है।

अतः माध्यालय उपखण्ड अधिकारी सिमराय में विचारणीय
 प्राचीन पत्र अंतर्गत धारा 251क एवं प्राचीन पत्र आस्था
 निषेधाज्ञा सं. 100/23 डनवानी रूपनारायण आदिनाम
 कर्मला व अन्य की अन्तर्गत माध्यालय में स्थानांतरण करने
 हेतु प्राचीन गोविन्द सहाय पुत्र श्रीराम, महेश कुमार पुत्र
 हरमजन आदि मीना विवाही ग्राम कालवान तहसील
 सिमराय डाय इस माध्यालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण
 खारिज किया जाय है विवेक से प्राचीन प्राचीन माध्यालय
 उपखण्ड अधिकारी सिमराय में निजवाह जाया पत्रावली
 के साथ कुमार की जाकर नम्बर से कम है एवं बाडपूरी
 प्राचीन लेख गठवार की जाय निवेदन आज दिनांक 23-2-24
 को मेरे डाय खुले माध्यालय में सुनाया गया।



[Signature]
 [Stamp]
 दिनांक 23-2-24

